भारत में व्यभिचार कानून

भारतीय दंड संहिता की धारा 497 व्यभिचार से निपटने वाला एक खंड था । केवल एक आदमी जो अपनी सहमति के बिना किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ यौन संबंध रखता था, उसे भारत में इस अपराध के तहत दंडित किया जा सकता था । 27 सितंबर 2018 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले से यह कानून निष्प्रभावी हो गया । सुप्रीम कोर्ट ने कानून को असंवैधानिक कहा क्योंकि यह "एक पति को एकमात्र गुरु मानता है।" हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शासित तलाक के लिए यह अभी भी एक पर्याप्त आधार है ।

व्यभिचार [एस। 497 IPC और S. 198 (2) CrPC]

परिचय

शब्द "व्यभिचार" इसका मूल फ्रांसीसी शब्द "एवियट्रे" से निकला है, जो लैटिन क्रिया "मिलावट" से विकसित हुआ है जिसका अर्थ है "भ्रष्ट" । व्यभिचार शब्द का अर्थ यह है कि एक विवाहित व्यक्ति व्यभिचार करता है यदि वह उस महिला के साथ यौन संबंध रखता है जिसके साथ उसने विवाह में प्रवेश नहीं किया है।

भारतीय कानून के तहत, धारा 497 IPC व्यभिचार को एक आपराधिक अपराध बनाता है, और पांच साल तक के कारावास की सजा और जुर्माना निर्धारित करता है। धारा 497 के तहत व्यभिचार का अपराध, व्यभिचार के दुराचार की तुलना में दायरे में बहुत सीमित है जैसा कि तलाक की कार्यवाही में समझा जाता है। यह अपराध *केवल* उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसने किसी अन्य पुरुष की पत्नी के साथ बाद की सहमति या मिलीभगत के बिना संभोग किया था। पत्नी व्यभिचारी होने के लिए, या यहाँ तक कि अपराध करने वाले के रूप में दंडित करने के लिए दंडनीय नहीं है । धारा 198 सीआरपीसी "व्यथित व्यक्ति" से संबंधित है। उप-धारा (2) धारा 497 आईपीसी के तहत किए गए अपराध से पीड़ित महिला के पति के रूप में माना जाता है और पति की अनुपस्थिति में, कुछ व्यक्ति जो उस समय महिला की देखभाल करते थे जब ऐसा अपराध था न्यायालय की अनुमति से प्रतिबद्ध। यह व्यभिचारी की पत्नी को व्यथित व्यक्ति *नहीं* मानता।

धारा ४ ९ Cr आईपीसी और धारा १ ९ 2 (२) सीआरपीसी एक साथ व्यभिचार के अपराध से निपटने के लिए एक विधायी पैकेट का गठन करते हैं जो कि असंवैधानिक ठहराया गया है

और सुप्रीम कोर्ट ने *जोसेफ शाइन* बनाम *यूनियन ऑफ़ इंडिया*, २०१ SC SCC OnLine SCL में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मारा है। 1676।

दंड संहिता

धारा 497. **व्यभिचार।** - जिस किसी व्यक्ति के साथ संभोग किया जाता है और जिसे वह जानता है या जिसके पास उस पुरुष की सहमति या सहमति के बिना किसी अन्य पुरुष की पत्नी होने का विश्वास करने का कारण है, ऐसा संभोग बलात्कार के अपराध के लिए राशि नहीं है, दूसरे का दोषी है व्यभिचार का अपराध, और किसी भी शब्द के लिए या तो विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा, जो पांच साल तक, या जुर्माना या दोनों के साथ हो सकता है। ऐसे मामले में, पत्नी एक बूचड़खाने के रूप में दंडनीय नहीं होगी।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता

धारा 198. **विवाह के खिलाफ अपराध के लिए अभियोजन।** - (१) कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता (१ (१ (४० के ४५) के अध्याय XX के तहत अपराध के लिए किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर संज्ञान नहीं लेगा।
* * * * * * * * * *
(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, महिला के पति के अलावा किसी भी व्यक्ति को धारा 497 या धारा 498 की धारा 498 के तहत किसी भी अपराध से दंडित नहीं माना जाएगा:
बशर्ते कि पति की अनुपस्थिति में, कुछ व्यक्ति जो उस समय अपनी ओर से महिला की देखभाल करते थे, जब इस तरह का अपराध किया गया था, अदालत की छुट्टी के साथ, अपनी ओर से शिकायत कर सकते हैं।
* * * * * * * * * *

अपराध का वर्गीकरण

व्यभिचार का अपराध गैर-संज्ञेय है (ऐसा मामला जिसमें कोई पुलिस अधिकारी बिना गिरफ्तारी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता)। साथ ही, यह एक जमानती अपराध है।

यौगिक अपराध

व्यभिचार का अपराध उस महिला के पति द्वारा किया जाता है जिसके साथ व्यभिचार किया जाता है। यौगिक अपराध वे होते हैं, जहां अदालत पार्टियों के बीच समझौता कर सकती है और अभियुक्तों के खिलाफ आरोप हटा सकती है। [धारा ३२० सीआरपीसी]।

मामले

व्यभिचार के अपराध को असंवैधानिक ठहराया : अंडरस्टैंडिंग *जोसेफ शाइन* बनाम *भारत संघ*

धारा 497 IPC आईपीसी और १ ९ 2 (२) सीआरपीसी इंसोफ़र यह व्यभिचार के अपराध के संबंध में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया से संबंधित है, संविधान के अनुच्छेद १४, १५ (१) और २१

का उल्लंघन है, और इसलिए इसे नीचे मारा गया है अमान्य, *जोसेफ शाइन* बनाम *भारत संघ*, 2018 SCC OnLine SC 1676 ।
यह नोट इसके बाद *जोसेफ शाइन* मामले में सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न टिप्पणियों पर चर्चा करता है ।

वस्तु

धारा 497 का उद्देश्य विवाह की पवित्रता को संरक्षित करना है। समाज वैवाहिक बेवफाई का दुरुपयोग करता है।
हालाँकि, यह ऑब्जेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में नहीं है। में *यूसुफ शाइन*, *न्यायालय इस प्रकार मनाया:*
"... राज्य की दलील के रूप में निवेदन योग्य वस्तु, विवाह की पवित्रता की रक्षा और संरक्षण के लिए, वास्तव में, धारा 497 की वस्तु नहीं है . . ."
आगे यह देखा गया कि विवाहित की पवित्रता एक विवाहित पुरुष द्वारा अविवाहित महिला या विधवा के साथ यौन संबंध रखने से पूरी तरह से नष्ट हो सकती है जो विधायिका द्वारा दंडित नहीं है। इसके अलावा, यदि पति संभोग में सहमति या सहमति देता है जो व्यभिचार की मात्रा है, तो अपराध नहीं किया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि यह विवाह की पवित्रता नहीं है जिसे संरक्षित और संरक्षित करने की मांग की जाती है, लेकिन एक पति का मालिकाना अधिकार।

इतिहास

धारा 497 एक पूर्व-संवैधानिक कानून है जो १ At६० में लागू किया गया था। उस समय, महिलाओं के पास अपने पति से स्वतंत्र कोई अधिकार नहीं था, और उन्हें अपने पति की चैटटेल या "संपत्ति" के रूप में माना जाता था। इसलिए, व्यभिचार को अपराध माना जाता था क्योंकि यह उसकी संपत्ति की "चोरी" माना जाता था, जिसके लिए वह अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला सकता था।
1837 में भारत के विधि आयोग द्वारा जारी आईपीसी के पहले मसौदे में "व्यभिचार" को एक अपराध के रूप में शामिल नहीं किया गया था। लॉर्ड मैकाले का विचार था कि व्यभिचार या वैवाहिक बेवफाई पार्टियों के बीच एक निजी गलत था, न कि आपराधिक अपराध। हालाँकि, लॉर्ड मैकाले के विचार, विधि आयोग के अन्य सदस्यों, *जोसेफ शाइन* बनाम *भारत संघ*, 2018 SCC OnLine SC 1676 द्वारा अधिरोहित किए गए थे ।

सामग्री

व्यभिचार के अपराध का गठन करने के लिए, निम्नलिखित की स्थापना की जानी चाहिए: -
(*i*) विवाहित महिला और पुरुष के बीच संभोग जो उसका पति नहीं है;
(*ii*) विवाहित महिला के साथ संभोग करने वाले पुरुष को जानना चाहिए या यह मानने का कारण होना चाहि
ए कि वह किसी अन्य पुरुष की पत्नी है;

(*iii*) इस तरह का संभोग उसकी सहमति से होना चाहिए, यानी उसे बलात्कार के लिए राशि नहीं देनी चाहिए;
(*iv*) विवाहित महिला के साथ संभोग उसके पति की सहमति या सहमति के बिना होना चाहिए। उपर्युक्त के अनुसार सामग्री को बताए जाने के बाद, *यूसुफ शाइन* में सर्वोच्च न्यायालय व्यभिचार के अपराध में निहित असंवैधानिकता के उपाध्यक्ष पर चर्चा करता है, जैसा कि वर्तमान में देखा जा सकता है।

कौन शिकायत दर्ज कर सकता है

जिस महिला के साथ व्यभिचार किया जाता है, उसके पति को एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में माना जाता है और केवल वह शिकायत दर्ज कर सकता है। हालांकि, उनकी अनुपस्थिति में, कुछ अन्य व्यक्ति, जो उस समय महिला की देखभाल करते थे, जब ऐसा अपराध किया गया था, अगर अदालत अनुमति देती है तो वह पति की ओर से शिकायत दर्ज कर सकती है। [धारा १ ९ [(२) सीआरपीसी]
में *यूसुफ शाइन*, इस के रूप में नीचे चर्चा की है मनमाने ढंग से और संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन होने के लिए आयोजित की गई थी।

महिला को शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है

एक पत्नी अपने पति पर व्यभिचारपूर्ण संबंधों में शामिल होने का मुकदमा चलाने से अक्षम है। एक विवाहित पुरुष के लिए एक एकल महिला, *जोसेफ शाइन* बनाम *भारत संघ*, 2018 SCC ओनलाइन SC 1676 के साथ संभोग क्रिया में संलग्न होना कानून के लिए यह अपराध नहीं है ।

जिस पर मुकदमा चलाया जा सकता है

यह केवल व्यभिचारी पुरुष है जिस पर व्यभिचार करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, न कि व्यभिचारिणी स्त्री, भले ही यह संबंध सहमतिपूर्ण हो। व्यभिचारिणी स्त्री को अपराध करने वाला भी नहीं माना जाता है। महिला को आपराधिक दायित्व से मुक्त किया गया है।
जोसेफ शाइन में इस तरह के वर्गीकरण के लिए एक पर्याप्त निर्धारण सिद्धांत की उपस्थिति पर संदेह किया गया था ।

स्त्री को पुरुष की संपत्ति माना जाता है

ऐतिहासिक रूप से, चूंकि व्यभिचार "पति की अनन्य अधिकारों" के साथ हस्तक्षेप किया गया था, इसलिए इसे चोरी के समान "संपत्ति का उच्चतम संभव आक्रमण" माना जाता था।
धारा 497 के पठन पर, यह अवर्णनीय है कि महिलाओं को पुरुषों के साथ अधीनस्थ मान लिया जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि जब पुरुष की सहमति या सहमति होती है, तो कोई अपराध नहीं होता है। यह महिला को एक चैटटेल के रूप में मानता है। यह उसे मनुष्य की संपत्ति के रूप में मानता है और पूरी तरह से गुरु की इच्छा के अधीन है। यह उस सामाजिक प्रभुत्व का प्रतिबिंब है जो दंड प्रावधान का मसौदा तैयार किए जाने के समय प्रचलित था, *जोसेफ शाइन* बनाम *भारत संघ*, 2018 SCC ओनलाइन SC 1676 ।

धारा 497 का उल्लंघन करता है अनुच्छेद 14 [कानून से पहले समानता]

धारा 497 पुरुषों और महिलाओं के साथ असमान व्यवहार करती है, क्योंकि महिलाएं व्यभिचार के अभियोजन के अधीन नहीं हैं, और महिलाएं व्यभिचार के लिए अपने पति पर मुकदमा नहीं चला सकती हैं। इसके अतिरिक्त, अगर व्यभिचार करने वाली महिला के पति की "सहमति या सहमति" है, तो कोई अपराध स्थापित नहीं किया जा सकता है। इस खंड में सहमति से यौन गतिविधियों को अपराधी बनाने के लिए पर्याप्त रूप से दृढ़ संकल्प वाले सिद्धांत का अभाव है और यह स्पष्ट रूप से मनमाना है और इसलिए अनुच्छेद 14, *जोसेफ शाइन* बनाम *भारत संघ*, 2018 SCC OnLine SC 1676 का उल्लंघन है ।

धारा 198 (2) सीआरपीसी भी अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है [कानून से पहले समानता]

धारा 198 (2) सीआरपीसी व्यभिचारी की पत्नी को व्यथित व्यक्ति के रूप में नहीं मानता है। प्रावधान का तर्क दृष्टिकोण की तार्किकता की अनुपस्थिति से ग्रस्त है और इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 14 के उपाध्यक्ष के रूप में प्रकट होता है, जो कि स्पष्ट रूप से मनमाना है, *जोसेफ शाइन* बनाम *भारत संघ*, 2018 SCC OnLine SC 1676 ।

अनुच्छेद 15 का उल्लंघन (1) [भेदभाव का निषेध]

अनुच्छेद 15 (1) केवल लिंग के आधार पर राज्य को भेदभाव करने से रोकता है। एक पति को कानून द्वारा एक उत्तेजित पार्टी माना जाता है यदि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ संभोग में संलग्न होती है, लेकिन पत्नी नहीं होती है, यदि उसका पति ऐसा करता है। इस कोण से देखे जाने पर, व्यभिचार का अपराध एक विवाहित पुरुष और एक विवाहित महिला के बीच भेदभाव करता है, केवल सेक्स की जमीन पर उसका विरोध। यह प्रावधान भेदभावपूर्ण है और इसलिए अनुच्छेद 15 (1), *जोसेफ शाइन* बनाम *भारत संघ*, 2018 SCC ओनलाइन SC 1676 का उल्लंघन है ।

महिला की गरिमा का उल्लंघन और अनुच्छेद 21 [जीवन का अधिकार]

व्यक्ति की गरिमा अनुच्छेद 21 का एक पहलू है। धारा 497 प्रभावी रूप से आवश्यक गरिमा पर अंकुश लगाती है जो एक महिला को लिंग रूढ़ियों के आधार पर अनैतिक भेद पैदा करने का अधिकार है जो महिलाओं की व्यक्तिगत गरिमा में एक सेंध लगाता है।
इसके अलावा, महिलाओं की अधीनता के लिए पति तंत्र की सहमति या सहमति के तत्व पर जोर दिया गया है। इसलिए, अनुच्छेद 21, *जोसेफ शाइन* बनाम *यूनियन ऑफ इंडिया*, 2018 SCC OnLine SC 1676 पर भी यही अपराध है ।

निजता का अधिकार और चुनने का अधिकार का उल्लंघन

इस न्यायालय ने यौन निजता को एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, जिसे संविधान के तहत संरक्षित किया गया है। शारीरिक अंतरंगता साझा करना पसंद का प्रतिबिंब है। एक

महिला की यौन स्वतंत्रता को झकझोरना और सहमति के रिश्तों के अपराधीकरण की अनुमति देना इस अधिकार का खंडन है, *जोसेफ शाइन* बनाम *भारत संघ*, 2018 SCC OnLine SC 1676 ।

विवाहित महिला की यौन एजेंसी पति की सहमति या सहमति पर पूरी तरह से निर्भर करती है

एक पुरुष, जो अपने पति की सहमति या सहमति के बिना विवाहित महिला के साथ यौन संबंध रखता है, भले ही संबंध महिला की सहमति पर आधारित हो, व्यभिचार के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। यद्यपि अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है, एक महिला को दंडात्मक कार्रवाई की संभावना पर विचार करने के लिए मजबूर किया जाता है जो उस व्यक्ति के साथ संलग्न करेगा जिसके साथ वह यौन क्रिया में संलग्न है। अपने जीवनसाथी की निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए, आदमी को राज्य की आपराधिक मंजूरी देने की शक्ति दी जाती है। वास्तव में, उसके पति को उसकी यौन एजेंसी, *जोसेफ शाइन* बनाम *यूनियन ऑफ इंडिया*, 2018 SCC OnLine SC 1676 पर पर्दा डालने का अधिकार है ।

धारा 497 महिला की यौन स्वायत्तता को नकारती है

धारा 497 अपने पति की सहमति पर अपनी स्वतंत्र व्यायाम सशर्त बनाने में उसकी यौन स्वायत्तता की एक महिला को नकारती है। ऐसा करने पर, यह धारणा समाप्त हो जाती है कि एक महिला शादी में प्रवेश करने पर सीमित स्वायत्तता के लिए सहमति देती है। यौन स्वायत्तता पर अंकुश लगाने के लिए मजबूर महिला निष्ठा का प्रवर्तन, गरिमा और समानता के मौलिक अधिकार के लिए एक संघर्ष है, *जोसेफ शाइन* बनाम *भारत संघ*, 2018 SCC OnLine SC 1676 ।

"संवैधानिक नैतिकता" का विरोध

यह इतिहास में किसी भी समय राज्य की सामान्य नैतिकता नहीं है, बल्कि संवैधानिक नैतिकता है, जिसे कानून का मार्गदर्शन करना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में, संवैधानिक नैतिकता को कुछ अधिकारों के आश्वासन की आवश्यकता होती है जो समाज के सभी सदस्यों के स्वतंत्र, समान और सम्मानजनक अस्तित्व के लिए अपरिहार्य हैं। संवैधानिक नैतिकता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए कानून के समक्ष समानता की संवैधानिक गारंटी को लागू करने की आवश्यकता है, सेक्स के संबंध में गैर-भेदभाव, और गरिमा, ये सभी धारा 497, *जोसेफ शाइन* बनाम *यूनियन ऑफ इंडिया*, 2018 SCC के संचालन से प्रभावित हैं । ऑनलाइन SC 1676 ।

यौन रूढ़ियों पर आधारित

धारा 497 का आधार यौन रूढ़ियों पर आधारित है जो महिलाओं को निष्क्रिय और यौन एजेंसी से रहित होने के रूप में देखते हैं। यह धारणा कि महिलाएं व्यभिचार की 'शिकार' हैं और इसलिए आवश्यकता होती है कि छूट को नारीवादी विद्वानों द्वारा गहराई से आलोचना की गई है, जो यह तर्क देते हैं कि महिलाओं की स्थिति की ऐसी समझ कम होती जा रही है और उन्हें समाज में समान रूप से स्वायत्त व्यक्तियों के रूप में पहचानने में विफल है , *जोसेफ शाइन* बनाम *भारत संघ*, 2018 SCC ओनलाइन SC 1676 ।

विवाह विच्छेद

कई मामलों में, शादी के बाहर पति-पत्नी में से एक द्वारा यौन संबंध बनाने से शादी टूट सकती है। लेकिन अक्सर, इस तरह के रिश्ते का कारण नहीं हो सकता है, लेकिन वैवाहिक बंधन के एक पूर्व-मौजूदा व्यवधान का परिणाम, *जोसेफ शाइन* बनाम *भारत संघ*, 2018 SCC online SC 1676 ।

लंबित तलाक की कार्यवाही का मामला

एक विवाहित महिला जिसकी शादी टूट गई है, जिसके परिणामस्वरूप वह अब अपने पति के साथ नहीं रहती है, और हो सकता है, और वास्तव में, अपने पति के खिलाफ न्यायिक अलगाव के लिए एक डिक्री प्राप्त कर चुकी हो, जिसके कारण उसके पति के खिलाफ न्यायिक अलगाव के लिए एक डिक्री प्राप्त हुई है। तलाक दिया जा रहा है। यदि इस अवधि के दौरान, वह किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध रखती है, तो दूसरा आदमी तुरंत अपराध का दोषी होता है, *जोसेफ शाइन* बनाम *भारत संघ*, 2018 SCC ओनलाइन SC 1676 ।

क्या व्यभिचार को एक आपराधिक अपराध माना जाना चाहिए?

व्यभिचार मूल रूप से विवाह की संस्था से जुड़ा हुआ है। व्यभिचार करना राज्य के लिए एक वास्तविक निजी दायरे में प्रवेश करने के लिए एक अपराध है। व्यभिचार एक अपराध की अवधारणा में फिट नहीं होता है। तलाक के लिए एक मैदान के रूप में छोड़ दिया जाना बेहतर है, *जोसेफ शाइन* बनाम *भारत संघ*, 2018 एससीसी ओनलाइन एससी 1676 ।

अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय रुझानों से संकेत मिलता है कि बहुत कम देशों ने व्यभिचार को एक अपराध के रूप में माना है, हालांकि अधिकांश देश तलाक के कानूनों के उद्देश्यों के लिए व्यभिचार को बरकरार रखते हैं, *जोसेफ शाइन* बनाम *भारत संघ*, 2018 SCC OnLine SC 1676 ।

सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका का इंतजार क्यों नहीं किया और खुद ही प्रावधानों को खत्म कर दिया?

ये खंड पूरी तरह से पुराने हैं और अपने उद्देश्य को रेखांकित कर चुके हैं। मैक्सिम ऑफ रोमन कानून, *सेसेंटे राशन लेगिस, सेसट इप्सा लेक्स* [जब कानून का कारण समाप्त हो जाता है, तो कानून भी समाप्त हो जाता है], इस तरह के कानून पर रोक लगाने के लिए लागू होता है। इसके अलावा, जब ऐसा कानून संवैधानिक गारंटी के लिए गलत है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय का एकमात्र कर्तव्य है कि वह कानून की प्रतीक्षा न करे, बल्कि ऐसे कानून को रद्द करे, *जोसेफ शाइन* बनाम *भारत संघ*, 2018 SCC OnLine SC 1676 ।

व्यभिचार तलाक के लिए एक आधार बना हुआ है

इसमें कोई संदेह की छाया नहीं हो सकती है कि व्यभिचार विवाह के विघटन सहित किसी भी तरह के नागरिक गलत के लिए एक आधार हो सकता है, *जोसेफ शाइन* बनाम *भारत संघ*, 2018 SCC ओनलाइन SC 1676 ।

आईपीसी की धारा 497

धारा 497 को कम करने के लिए याचिका

इस समस्यात्मक व्याख्या के कारण, दिसंबर 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को स्वीकार करने का निर्णय लिया जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को पूरी तरह से खत्म कर दे या पूरी तरह से हटा दे।

यह तर्क दिया गया है कि यह खंड भारत के संविधान के दो लेखों का उल्लंघन करता है– अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15।

अनुच्छेद 14 इस प्रकार है: "राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा।"

अनुच्छेद 15 इस प्रकार है: "राज्य केवल धर्म, जाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा।"

इस याचिका को स्वीकार करने पर, न्यायालय ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणियों में यह उल्लेख किया कि यह 1954 के बाद से धारा – बहस और मामलों को चुनौती देने वाली पहली याचिका नहीं थी, जिससे न्यायालय के लिए इस विषय पर निर्णय लेना महत्वपूर्ण हो जाता है, बिना ज्यादा जानकारी के। यह महसूस किया कि कानूनों को लिंग तटस्थ माना जाता है। हालांकि, इस मामले में, यह केवल महिला को शिकार बनाता है और इस प्रकार "महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्र पहचान पर सेंध लगाता है।"

इस डिक्रिमिनलाइजेशन का विरोध करने वाली पार्टी द्वारा दलीलें– Centre- में कहा गया है कि यह खंड "विवाह की संस्था को समर्थन, सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करता है . . . विवाह की स्थिरता का तिरस्कार करना आदर्श नहीं है।" यह आगे तर्क देता है कि अगर याचिका की अनुमति दी जाती है, तो "व्यभिचारी संबंधों में अब की तुलना में अधिक मुक्त खेल होगा।" एक विकल्प के रूप में, यह प्रदान करता है कि आपराधिक न्याय प्रणाली (2003) के सुधार संबंधी समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए। इस समिति ने सिफारिश की कि धारा के शब्दांकन को बदल दिया जाए: "जो किसी अन्य व्यक्ति के पति या पत्नी के साथ संभोग

करता है, वह व्यभिचार का दोषी है . . ." वर्तमान अनुभाग के पढ़ने से उत्पन्न होने वाले लिंग पूर्वाग्रह की समस्या से निपटने के लिए।

निर्णय

कोर्ट ने 1 अगस्त 2018 को इस याचिका पर दलीलें सुननी शुरू कर दीं। कोर्ट ने कहा कि यदि इस धारा को चुनौती देने वाली पार्टी यह साबित कर सकती है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, तो इस धारा को समाप्त कर दिया जाएगा।

27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से धारा 497 को रद्द करने का फैसला किया और यह अब भारत में अपराध नहीं है

निर्णय को पढ़ते हुए, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा, "यह (व्यभिचार) एक आपराधिक अपराध नहीं हो सकता है," हालांकि यह तलाक जैसे नागरिक मुद्दों के लिए एक आधार हो सकता है।

अक्टूबर 2017 में, एक अनिवासी केरलवासी जोसेफ शाइन ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर की। याचिका में सीआरपीसी की धारा 197 (2) के साथ पढ़ी गई आईपीसी की धारा 497 के तहत व्यभिचार के अपराध की संवैधानिकता को चुनौती दी गई।

धारा ४ ९ 49 आईपीसी एक ऐसे व्यक्ति पर दोषारोपण करके व्यभिचार का अपराधीकरण करता है जो किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी के साथ संभोग में संलग्न होता है। व्यभिचार को अधिकतम पाँच वर्ष के कारावास के साथ दंडनीय था। सहमति दलों सहित महिलाओं को अभियोजन से छूट दी गई थी। इसके अलावा, एक विवाहित महिला धारा 497 आईपीसी के तहत शिकायत नहीं ला सकती है जब उसका पति एक अविवाहित महिला के साथ संभोग में संलग्न हो। यह सीआरपीसी की धारा 198 (2) के मद्देनजर था जिसमें कहा गया था कि कैसे एक शिकायतकर्ता धारा 497 और 498 आईपीसी के तहत किए गए अपराधों के लिए आरोप दायर कर सकता है।

सीएलपीआर के कार्यकारी निदेशक एडवोकेट जयना कोठारी ने हस्तक्षेपकर्ता विमोचन का प्रतिनिधित्व किया। पुट्टास्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रावधान को व्यभिचार के रूप में वर्गीकृत करने वाले प्रावधान को उन्होंने निजता के मौलिक अधिकार का

हनन बताया। उसने तर्क दिया कि अंतरंग संघ का अधिकार गोपनीयता का एक पहलू है जो संविधान के तहत संरक्षित है।

धारा 497 असंवैधानिक थी क्योंकि व्यभिचार को आपराधिक बनाने का आधार यह धारणा थी कि एक महिला को पति की संपत्ति माना जाता है और शादी से बाहर संबंध नहीं हो सकते। हालांकि, पति के मामले में समान प्रतिबंध लागू नहीं हुए। धारा 497 निजता के अधिकार के साथ-साथ विवाहित महिलाओं के साथ भेदभाव और लैंगिक रूढ़ियों को खत्म करके महिलाओं की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।

27.09.2018 को, सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीश पीठ ने सर्वसम्मति से भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को संविधान के अनुच्छेद 14. 15 और 21 के उल्लंघन के रूप में माना।